

पक्षकारों एवं उपा  
आदि के हस्ताक्षर

245

121

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर, शाखा-रीवा, जिला-रीवा म.प्र. १



Rs. 20/-

541  
16/9/13

R-4220-III/13

1. श्रीमती सरोज तिवारी उम्र- 58 वर्ष पत्नी स्व. भूमिजा प्रसाद तिवारी,
2. गीता प्रसाद तिवारी उम्र- 32 वर्ष, तनय स्व. भूमिजा प्रसाद तिवारी,
3. दीपक प्रसाद तिवारी उम्र- 30 वर्ष तनय स्व. भूमिजा प्रसाद तिवारी,
4. दिलराज कुमार तिवारी उम्र-28 वर्ष, तनय स्व. भूमिजा प्रसाद तिवारी,
5. अनुराग तिवारी उम्र- 20 वर्ष, तनय स्व. भूमिजा प्रसाद तिवारी सभी,

अधिकांश शिव प्रसाद तिवारी  
पुत्र प्रसाद  
रीवा, दि. 16-09-13

निवासी-ग्राम पुरास तह0-गुड, जिला-रीवा म.प्र. १ — आवेदकगण  
बनाम

1. मोहन लाल कोल उम्र- 45 वर्ष तनय स्व. रघुमण्ण कोल,  
मुन्नी कोल उम्र-40 वर्ष, पत्नीमोहनलाल कोल सभी निवासी ग्राम 0900 पुरास  
तह0-गुड, जिला-रीवा म.प्र. १
3. म.प्र. राज्य द्वारा जिलाध्यक्ष रीवा म.प्र. १ — अनावेदक गण

मजिस्ट्रेट आफ कोर्ट  
गुड तहसील म.प्र. ग्वालियर  
रीवा

23/11/13

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू. रा. सं. 1959 बावद  
भूमि ख. नं. 972 रकवा .8 0. 170 हे. स्थित ग्राम पुरास  
तह0-गुड, जिला-रीवा म.प्र. १

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश तहसीलदार तह0-गुड, प्रक. क्र. 4अ19/  
01-02 आदेश दिनांक 25.06.02

मान्यवर,

निगरानी अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर प्रस्तुत है:-

01: यह कि तहसीलदार तह0-गुड के आदेश दिनांक 25.06.02 प्रकरण क्र. 4अ19/  
01-02 के द्वारा जो विभिन्न लोगों के पक्ष में बंटन/व्यवस्थापन का आदेश  
दिया गया है इसी के साथ जो आवेदकगण के स्वत्व स्वामित्व व अधिपत्य के भूमि  
नं. 972 रकवा 0. 170 हे. का व्यवस्थापन अनावेदक 1.2 के नाम प्र. क्र. 4अ19/03

Handwritten signature

**राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर**

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक B4220-III/13 ..... जिला रीवा .....

..... सरोज तिवारी विरुद्ध मोहनलाल .....

1	2	3
16-1-19 -	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>शिवप्रसाद डिग्गी</u> ..... अधिवक्ता द्वारा यह नायब तहसीलदार तहसील <u>- गुरुद</u> ..... के प्रकरण क्रमांक <u>4(93-19)2001-2002</u> ..... में पारित आदेश दिनांक <u>25-06-01</u> ..... के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर <u>रीवा</u> ..... के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>28-3-19</u> ..... को कलेक्टर <u>रीवा</u> ..... के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;"><u>[Signature]</u> सदस्य</p>	

[Handwritten notes]